



## Meticulous Investigation & Prosecution




### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपियों मदन, रामभजन व राजवीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2005 में अभियुक्त मदन, रामभजन व राजवीर पुत्रगण ईश्वर निवासीगण ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा लूट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 1500/2005 धारा 394/224/225/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.11.2024 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों मदन, रामभजन व राजवीर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



एपीओ विमलेश जनपद बागपत



आरक्षी प्रशान्त कुमार कोर्ट  
पैरोकार थाना सिंघावली अहीर



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी अहमद को हुआ 06 माह 10 दिन का कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2019 में अभियुक्त अहमद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा अवैध तमंचा रखने व चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 355/2019 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 243/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.11.2024 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अहमद को दोषी पाते हुए 06 माह 10 दिन का कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 05.11.2024

थाना रमाला पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ विडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक लाइसेन्सी राईफल NP.30 बोर मय लाइसेन्स बुक बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का हथियार के साथ विडियो वायरल हुआ था । जिसका थाना रमाला पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुये विडियो के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से अभियुक्त के पिता नीरज सिंह के नाम पर दर्ज एक लाइसेन्सी राईफल NP.30 बोर मय लाइसेन्स बुक बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

विजय पुत्र नीरज सिंह निवासी कण्डैरा थाना रमाला जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक लाइसेन्सी राईफल NP .30 बोर।
- लाइसेन्स बुक।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-व०उपनि० श्री ओमपाल सिंह।
- 2-का० 1076 विकास यादव।
- 3-हो०गा० 575 विनोद कुमार।



**प्रेस नोट**

**थाना सिंघावली अहीर**

**दिनांक 05.11.24**

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-**

गुलशन पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1.उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर ।
2. है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3.है0का0 294 नरेन्द्र नागर थाना सिंघावली अहीर ।